आदेश दिनांक 12/9/13 ...

(15)

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर, बरेली

वाद संख्या 164/12-13 सन् 2013

एस0एस0डी0 एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी

बनाम

सरकार

धारा 143 जैड0ए0एल0आर0 एक्ट

ग्राम रिठौरा

निर्णय

प्रस्तुत वाद अनुज कुमार अग्रवाल व सुमित कुमार पाल सचिव/अध्यक्ष एस0एस0डी0 एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी 167, जनकपुरी, बरेली ने धारा 143 जैड0ए0एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके कहा कि ग्राम रिठौरा के गाटा सं0 841 रकबई 2.018 है0 में से 0.632 है0 है जो खतौनी में एस0एस0डी0 एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी 167, जनकपुरी, बरेली बतौर सचिव/अध्यक्ष दर्ज है। गाटा सं0 841 रकबे 2.018 में से 0.630 है0 शैक्षणिक संस्थान का निर्माण कार्य प्रस्तावित है और निर्माण कार्य चल रहा है खेती नहीं हो रही है।

अतः प्रार्थना है कि उक्त भूमि को धारा 143 जैड0ए0एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अकृषक घोषित कर दिया जाये। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बरेली से निर्धारित बिन्दुओं पर स्थलीय जांच आख्या मांगी गयी।

तहसीलदार बरेली आख्या दिनांक 02-09-2013 तथा इसमें समाहित राजस्व निरीक्षक की आख्या प्रस्तुत की है आख्या के साथ नियम 135(1) की आख्या, उद्धरण खतौनी व नकशा खसरा आदि संलग्न किये हैं। आख्या में कहा गया कि ग्राम रिठौरा के गाटा संख्या 841 रकबई 2.018 है0 में से 0.632 है भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है उक्त भूमि एस0एस0डी0 एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। इसका प्रयोग शैक्षणिक/व्यवसायिक निर्माण/परिसर हेतु किया जा रहा है। उक्त गाटा संख्या 941 रकबई 2.018 है0 में से 0.632 है0 जिसके पूर्व में गाटा सं0 840 पश्चिम में गाटा सं0 779 उत्तर में गाटा सं0 836, 837 दक्षिण में शेष भाग गाटा सं0 841 को धारा 143 जैड0ए0एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अकृषक घोषित किये जाने की संस्तुति की है। आख्या प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

मैंने वादी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का परिशीलन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि ग्राम रिठौरा बरेली के गाटा सं0 841 रकबई 2.018 है0 में से 0.632 है0 पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। एस0एस0डी0 एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी के नाम संक्रमणी भूमिधर दर्ज है इसका प्रयोग शैक्षणिक/व्यावसायिक परिसर हेतु किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि का ...

MASCOT COLLEGE OF EDUCATION

S.S.D. Educational Welfare Society

Cashier President Secretary

152

धारा 143 जैड०ए०एल०आर० एक्ट के अन्तर्गत अकृषक के रूप में दर्ज किये जाने में कोई विधिक कठिनाई नहीं है।

आदेश

ग्राम रिठौरा परगना तहसील सदर जिला बरेली के गाटा संख्या 841 रकबई 2.018 है० में से 0.632 है० एस०एस०डी० एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी के प्रयोग शैक्षणिक/व्यवसायिक उपयोग में होने के कारण तहसीलदार बरेली की आख्या के आधार पर अकृषक घोषित किया जाता है। आदेश की प्रति उपनिबन्धक बरेली को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। पत्रावली बाद अमल दरामद दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनांक : 12/9/13

(राजकीशन राय)
उपजिलाधिकारी सदर, बरेली

12/9/13

805
12/9/13
12/9/13
12/9/13
13k

S.S.D. Educational Welfare Society

Cashier President Secretary

(153)

न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर) बरेली ।

वाद सं0 12 /08-09 धारा 143 जेड.ए.एल.आर.एक्ट
ग्राम रिठौरा परगना तहसील बरेली ।

ईश्वरी प्रसाद बनाम सरकार

निर्णय

एस.एस.टी. एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी रजि0 167/4 जनकपुरी बरेली द्वारा अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद पुत्र श्री मोहन लाल नि0 1219 तिलक कालोनी सुभाषनगर बरेली की ओर से एक प्रार्थना पत्र धारा 143 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसकी जाँच तहसीलदार सदर से कराई गयी। तहसीलदार सदर ने अपनी जाँच आख्या में अंकित किया है कि ग्राम रिठौरा के गाटा सं0 839 हेक्टेयर 0.339 तथा 840 हेक्टेयर 0.291 पर एस.एस.टी. एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी रजिस्टर्ड 167/4 जनकपुरी द्वारा अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद पुत्र मोहन लाल नि0 1219 तिलक कालोनी सुभाषनगर व विजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 नरेन्द्र पाल आजाद नि0 मो0 गंज पुरैना हाल तहसील आंवला का नाम अंकित है पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है वर्तमान में उक्त गाटा सं0 पर बाउन्ड्री बनी है तथा निर्माण कार्य चल रहा है । सम्बन्धित भूमि पर कुक्कुट पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया में नहीं है एवं सम्बन्धित आराजी पर कोई विवाद किसी न्यायालय मे विचाराधीन नहीं है अतः अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है ।

वाद दर्ज किया गया प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तहसीलदार की आख्या एवं खातेदार के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर उपरोक्त गाटा सं0 व हेक्टेयर को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित होगा ।

आदेश

अतः तहसीलदार सदर की आख्या से सहमत होते हुए ग्राम रिठौरा परगना तहसील बरेली के गाटा सं0 839 रकबा 0.339 व 840 रकबा 0.291 है0 भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है । आदेश की एक प्रति सब रजिस्ट्रार को भेजी जाये तथा बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये ।

Sd/ 20/12/08

[illegible]

दिनांक :- 20-12-08 उप जिलाधिकारी (सदर)

[illegible]

Secretary

President

TEN RUPEES

TWO RUPEES

ONE RUPEE